



मध्यप्रदेश शासन  
जनसम्पर्क विभाग

# पत्रकारिता सम्मान



प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 2019

राज्य शासन, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट और जनोन्मुखी कार्य करने वाले पत्रकारों से राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय और संभागस्तरीय सम्मानों के लिये दिनांक 10 फरवरी 2019 तक प्रविष्टियां आमंत्रित करता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान, राज्यस्तरीय पत्रकारिता सम्मान, फोटो पत्रकारिता सम्मान, राज्यस्तरीय टेलीविज़न पत्रकारिता एवं कैमरामेन सम्मान तथा आंचलिक पत्रकारिता सम्मान कैलेंडर वर्ष 2017, 2018 और 2019 के लिये प्रदान किये जाना हैं।

## राष्ट्रीय सम्मान

सम्मान	उद्देश्य	
गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान	राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये	राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये न्यूनतम 50 वर्ष आयु के कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले पत्रकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। चयनित पत्रकार को ₹ 2.51 लाख की सम्मान राशि भेंट की जायेगी।
राजेन्द्र माथुर सम्मान	ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के लिये	
विद्यानिवास मिश्र सम्मान	निर्माण और विकास गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान के लिये	

## राज्यस्तरीय सम्मान

**सत्यनारायण श्रीवास्तव सम्मान** – उत्कृष्ट राजनैतिक रिपोर्टिंग के लिये समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मध्यप्रदेश के पत्रकारों को देय इस सम्मान के लिये पत्रकारिता का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले ऐसे पत्रकारों से जो 10 वर्षों से राजनैतिक रिपोर्टिंग/राजनैतिक डेस्क पर सक्रिय रूप से कार्यरत हों, निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टियां भेज सकते हैं। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए पत्रकार भी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। चयनित पत्रकार को ₹ 1.51 लाख की सम्मान राशि भेंट की जायेगी।

**महेंद्र चौधरी फोटो पत्रकारिता सम्मान** – उत्कृष्ट फोटो पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिये मध्यप्रदेश के फोटोग्राफरों को देय इस सम्मान में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले संचार संस्थान से जुड़े सक्रिय फोटोग्राफर प्रविष्टियां भेज सकते हैं। प्रविष्टि के साथ प्रिंट मीडिया में नाम से प्रकाशित कम से कम 20 छायाचित्रों की कतरनें संलग्न करना आवश्यक होगी। चयनित फोटोग्राफर को ₹ 1.51 लाख की सम्मान राशि भेंट की जायेगी।

**मध्यप्रदेश राज्यस्तरीय टेलीविज़न पत्रकारिता सम्मान** – टेलीविज़न पत्रकारिता के क्षेत्र में दिये गये उत्कृष्ट दीर्घकालिक योगदान और अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिये राज्य शासन ने दो पत्रकार और दो कैमरामेन, एक राष्ट्रीय चैनल के मध्यप्रदेश में कार्यरत और एक राज्यस्तरीय चैनलों के लिये सम्मान स्थापित किया है। सम्मान के लिये न्यूनतम 35 वर्ष आयु, पाँच वर्ष का अनुभव और किसी संचार संस्थान में कार्यरत होना आवश्यक है। आवेदन के साथ राष्ट्रीय न्यूज चैनलों एवं राज्यस्तरीय न्यूज चैनलों के पत्रकार/कैमरामेन को कम से कम 20 कैप्सूल प्रस्तुत करना वांछनीय है, जिनका टेलीविज़न नेटवर्क में प्रसारण हुआ हो। चयनित पत्रकारों को ₹ 1.51 लाख एवं कैमरामेन को ₹ 1.01 लाख की सम्मान राशि दी जायेगी।

## आंचलिक सम्मान

क्र. सम्मान	अंचल	
1. शरद जोशी सम्मान	भोपाल (नर्मदापुरम संभाग सहित)	प्रदेश के समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकारिता का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले, संबंधित अंचल में निवासरत पत्रकार अंचल के सम्मान के लिये प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र में बंद लिफाफे में स्वयं के नाम से प्रकाशित कम से कम 20 प्रमाणित कतरनों सहित भेज सकते हैं। सम्मान के लिये प्रत्येक अंचल के चयनित पत्रकार को ₹ 1.01 लाख की सम्मान राशि भेंट की जायेगी।
2. राहुल बारपुते सम्मान	इंदौर	
3. रतनलाल जोशी सम्मान	ग्वालियर (मुरैना संभाग सहित)	
4. जीवनलाल वर्मा 'विद्रोही' सम्मान	जबलपुर	
5. कन्हैयालाल वैद्य सम्मान	उज्जैन	
6. मास्टर बलदेव प्रसाद सम्मान	सागर	
7. बनारसी दास चतुर्वेदी सम्मान	रीवा (शहडोल संभाग सहित)	

**वांछनीय:-** 1. सम्मान की शर्तें एवं निर्धारित आवेदन का प्रारूप जनसम्पर्क संचालनालय की वेबसाइट [www.mpinfo.org](http://www.mpinfo.org) पर भी देखा जा सकता है। शर्तें एवं आवेदन-पत्र संचालनालय में भी प्राप्त किये जा सकते हैं। 2. सभी सम्मानों की प्रविष्टियों में स्वयं, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, शिक्षा, कार्यरत संस्थान का नाम, डाक का पूरा पता, कार्यालय, निवास, टेलीफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, पत्रकारिता के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियां/अनुभव, पूर्व में प्राप्त पुरस्कार, सम्मान आदि का विवरण भेजे इसके साथ पोस्टकार्ड आकार के दो नवीनतम रंगीन फोटो भी संलग्न करें। 3. प्रविष्टि भेजने वाले लिफाफे पर वांछित सम्मान का नाम एवं वर्ष अवश्य अंकित करें। 4. सभी सम्मानों की प्रविष्टियां अपर संचालक अधिस्वीकृति पत्रकार कल्याण प्रभाग जनसम्पर्क संचालनालय बाणगंगा मार्ग, भोपाल के पते पर बंद लिफाफे में भेजी जाएं। 5. सम्मान के लिये चयन की अनुशंसा शासन द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। राष्ट्रीय, राज्य एवं आंचलिक सम्मानों के लिए अलग-अलग दो समितियां गठित होंगी, जो सभी सम्मानों का निर्णय करेंगी। चयन समिति प्राप्त प्रविष्टियों के अतिरिक्त जिन्हें वह उपयुक्त समझे, ऐसे उम्मीदवारों के नाम विचार क्षेत्र की सूची में सम्मिलित कर सकेगी। समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य और अंतिम होगा।

आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,  
जनसम्पर्क विभाग

पत्रकारिता सम्मान वर्ष -----

आवेदन-पत्र

1. सम्मान जिसके लिये आवेदन/  
प्रविष्टि भेजी जा रही है. -----
2. नाम -----
3. पिता/पति का नाम -----
4. जन्म तिथि -----
5. जन्म स्थान -----
6. शैक्षणिक योग्यता -----
7. संस्थान जहाँ कार्यरत हैं -----
8. डाक का पता -----
9. दूरभाष-कार्यालय ----- निवास ----- मोबाईल -----
10. पत्रकारिता के  
क्षेत्र में अनुभव -----
11. पत्रकारिता के क्षेत्र में  
अर्जित उपलब्धियां -----
12. शोध/पुस्तक लेखन आदि कार्य -----
13. प्राप्त सम्मान/  
सम्मानों का विवरण -----
14. पोस्ट कार्ड आकार के दो नवीनतम फोटो -----

हस्ताक्षर ---

नाम -----

## **-: आवेदन की शर्तें :-**

1. सम्मान की शर्तें एवं निर्धारित आवेदन का प्रारूप जनसम्पर्क संचालनालय की वेबसाइट [www.mpinfo.org](http://www.mpinfo.org) पर भी देखा जा सकता है। शर्तें एवं आवेदन-पत्र संचालनालय में भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. सभी सम्मानों की प्रविष्टियों में स्वयं,पिता/पति का नाम,जन्म तिथि,जन्म स्थान,शिक्षा,कार्यरत संस्थान का नाम,डाक का पूरा पता,कार्यालय,निवास,टेलिफोन नम्बर,मोबाईल नम्बर,पत्रकारिता के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियां/अनुभव,पूर्व में प्राप्त पुरस्कार,सम्मान आदि का विवरण भेजें इसके साथ पोस्टकार्ड आकार के दो नवीनतम रंगीन फोटो भी संलग्न करें।
3. प्रविष्टि भेजने वाले लिफाफे पर वांछित सम्मान का नाम एवं वर्ष अवश्य अंकित करें।
4. सभी सम्मानों की प्रविष्टियां अपर संचालक अधिस्वीकृति पत्रकार कल्याण प्रभाग जनसम्पर्क संचालनालय बाणगंगा मार्ग,भोपाल के पते पर बंद लिफाफे में भेजी जाएं।
5. सम्मान के लिये चयन की अनुशंसा शासन द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। राष्ट्रीय,राज्य एवं आंचलिक सम्मानों के लिए अलग-अलग दो समितियां गठित होंगी जो सभी सम्मानों का निर्णय करेंगी। चयन समिति प्राप्त प्रविष्टियों के अतिरिक्त जिन्हें वह उपयुक्त समझें,ऐसे उम्मीदवारों के नाम विचार क्षेत्र की सूची में सम्मिलित कर सकेगी। समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य और अंतिम होगा।